डीजी परिपत्र संख्या- 30 /2013

देवराज नागर,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक: लखनऊ: जून 24 ,2013

विषय–विदेशी महिला पर्यटको के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार आदि की घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि विदेशी पयर्टक भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के साथ–साथ प्राकृतिक छटा को देखने के लिए भारत आते हैं। भारत में **"अतिथि देवो भवः"** की मान्यता है, लेकिन कभी–कभी विदेशी पर्यटक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं यौन हिंसा की घटनाएँ पूरे देश की छवि धूमिल कर देती है, जिससे विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या प्रभावित होती है। विदेशी पर्यटक उ0प्र0 में मुख्य रूप से जनपद आगरा, वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती एवं मथुरा में आते हैं, लेकिन आवागमन के समय अन्य जनपदों से होकर गुजरते हैं। अतः विदेशी पर्यटकों के साथ कोई अप्रिय घटना विशेष रूप से महिला पर्यटकों के साथ यौन हिंसा एवं छेड़छाड़ की घटना घटित न होने पाये। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

- विदेशी पर्यटकों के आने वाले प्रमुख स्मारकों व दर्शनीय स्थलों, रेस्टोरेन्ट, मॉल, रेलवे स्टेशन पर लगातार गश्त करायी जाये। समय–समय पर आकस्मिक चैकिंग भी करायी जाये।
- विदेशी पर्यटकों के आने वाले रेलवे स्टेशनों, होटलों, रेस्टोरेन्टों, मॉलों व साइबर कैफे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से लेकर थानाध्यक्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नम्बर लिखवा दिये जायें, ताकि सम्भावित घटना की तत्काल सूचना प्राप्त हो सके और त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- विदेशी पर्यटकों के आने वाले स्थान जैसे–होटल, रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डो पर संलग्नक, 'सुरक्षा उपाय' के पम्पलेट को अंग्रेजी में छपवाकर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखे, ताकि पर्यटकों को यह बांटे जा सके।
- पर्यटक स्थलों पर नियुक्त गाइड, फोटोग्राफर, होटल कर्मियों, टैक्सी चालकों, नाव वालों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यक्तियों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाय।
- प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, घाटों, स्मरणीय स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 लगाये जायें।
- विदेशी पर्यटकों के साथ मृदु व्यवहार किया जाए एवं उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण किया जाये।

- विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार आदि किसी भी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर न केवल अभियोग पंजीकृत किया जाय, अपितु घटना में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्हें निरूद्ध भी किया जाय।
- महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित नवीनतम विधिक संशोधनों के संबंध में जनपद में कार्यशाला आयोजित कर प्रत्येक उपनिरीक्षक को न केवल इन प्राविधानों से परिचित कराया जाय, बल्कि इस संबंध में पम्पलेट छपवाकर प्रत्येक थाने के उपनिरीक्षक को उपलब्ध भी करा दिया जाय।

2. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

24-6-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

सुरक्षा के उपाय

1. किसी इमरजेन्सी में पुलिस सहायता के लिए 100 नम्बर डायल करें।
2. टैक्सी से यात्रा करते समय टैक्सी का नम्बर नोट कर लें।
3. किसी अपरिचित के साथ टैक्सी से अकेले यात्रा न करें।
4. किसी अपरिचित के द्वारा दिया गया खाद्य एवं पेय पदार्थ ग्रहण न करें।
5. रात्रि में सुनसान स्थान पर न जाए। यदि जाना परिहार्य हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ जाए। जाने से पूर्व स्थान के सम्बन्ध में फोन से अपने किसी सम्बन्धी को बता दें।
6. रात्रि में अपरिचित व्यक्ति के द्वारा दरवाजा खुलवाने पर दरवाजा न खोलें।
7. किसी अपरिचित पर विश्वास करके उसके घर न जाए।